

पत्र प्रकाशक वरिष्ठ
 में देखा जाता है। वकील प्रतिवादी द्वारा
 जिरद की गई। पत्रावली वास्ते आगामी
 आगामी दिनांक 17/9/21 को पेश है।

17/9/21

पत्रावली पेश हुई। वकूलाएं फेरवैन उपन।
 वकील प्रतिवादी ने साक्ष्यकारी हेतु अभ्यर्थना
 अतः पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक
 27/9/21 को पेश है।

08/10/21

Net Press

विरुद्ध

(विरुद्ध जाऊँ है)

में उक्त पत्रावली
 में मैंं द्वारा पेश नाउंटे
 क्लेम चलाना नहीं
 चाहता हूँ।

Shankar

पञ्चाननदी

(रामलक्ष्मी अ.)

पत्रावली आज केस प्रशासन ग्रामों के
 संगे अधिदान 2021 ग्राम दानीकी में
 प्रतिवादी ओमप्रकाश के प्राप्ति पत्र पर पेश
 में ले गई। मुताबिक प्राप्ति पत्र प्रतिवादी
 ओमप्रकाश ने ऑडिटर क्लेम में आगे
 अपर कोई आगे नहीं चली है एवं
 वकील वारी ने आदेशिका पर Net Press
 नहीं लिया एवं प्रकरण के आगे अपर कोई
 आगे नहीं चली है। अतः मुताबिक प्रतिवादी
 प्राप्ति पत्र एवं निवेदन वकील वारी के अनुसार
 वाफ अंतर्गत धारा 53-88 RTA under
 खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर के
 नाम की जांच पर फाइल टपट है।

उपखण्डाधिकारी (राजकी)
 भादरा (जिला-हनुमानगढ़)